

विषय :

याचिका क्रमांक 19187/15 द्वारा श्री ~~कुमार पदार्थ~~ विरुद्ध शासन व अन्य के संबंध में ।

पंजी क्रमांक 301/16 दिनांक 25/1/16  
माननीय उच्च न्यायालय का पत्र दिनांक 26/1/15  
जबलपुर

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 19187/15 की सुनवाई तिथि दिनांक 25/1/16 नियत की गई है । प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना है । प्रभारी अधिकारी नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है, तदनुसार प्रकरण मुलतः मंडी बोर्ड को अंकित किया जाना उचित होगा ।

आदेशार्थ

अनुबद्धि

CSK

नस्ती मंडी बोर्ड को

अंकित कर रखा जावे। 29/1/16

DS(G)

MD (Mandi Board)

(कृपया पद)

संज्ञा (नियम) (विधि)

0.

5-216.

(P.T.O.)

29/1/16  
20/2/2016

29/1/16

213 क  
007030/16/143/16/16  
04.02.16 29/2/16



Dr. Shree I  
11/3/16.



डि. 51 27/4/16/16.2

छब्बीस-२ सचि लिय

विषय: - एन. 19183/15 को फुटो फाद  
प्राप्ति वि. शासन सं. नम्य  
रहित फुटो फाद

डि. 51  
सं. 27  
का विभाग

रजिस्ट्रार प्राप्ति फुटो फाद रजिस्ट्रार

डि. 51  
27/4/16

रजिस्ट्रार

डि. 51  
2-3/16

प्राप्ति

डि. 51

503

डि. 51  
4-3/16

जायक ड. 542-43

दिनांक 4-3-16

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
(भा.प्र. 3), मन्त्रालय, भोपाल

प्रमाणित अधिकारी लिखित आदेश जारी  
प्रतिरक्षण आदेश हेतु प्रकटन विधि विभाग  
को अंकित किया जावा-प्राप्ति है।

डि. 51  
27/4/16

अ.प्र. प्रतिरक्षण आदेश हेतु नली  
वैली विभाग को अंकित  
करना चाहेंगे।

डि. 51  
5-3/16

7680  
C.R.

डि. 51

सं. प्रतिरक्षण आदेश हेतु  
प्रकरण विधि विभाग को अंकित  
करना चाहेंगे।

डि. 51  
013

डि. 51  
27/4/16

प्रमुख सचिव

प्रतिपरीक्षण हेतु नली अंकित 11/3/16

प्रमुख सचिव (विधि)

(डॉ. राजेश कुमार शर्मा)  
प्रमुख सचिव  
भारत-प्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
भोपाल



4.

क्र- 5/ 27/ 2016/ 14-5

छत्तीस-2 सचिवालय

विषय:- स्व. सं. 19187/15 श्री कृष्णा कुमल  
पदाते, वि. शासन एवं जे.पी.  
रु. प्र. सं.

कार्य

प्रतिरक्षा भादेश जारी कर प्रति  
सस्ती पर रखी है।

किसान कल्याण तथा कृषि (भूमि-समिति)  
विकास विभाग भूमि-सचिव  
विधि विभाग

**JABALPUR**

Process Id: 207562/2015

**WP/19187/2015**

**From**

**Kishore Pithawe  
Deputy Registrar,  
High Court of**

**Judicature**

**at Jabalpur**

**Adm. and I.R.**

**Fixed for 25-01-2016**

**WP-DA-7**

**Respondent No. 2**

**To,**

**M.d. M.p. Rajya Krishi Vipran Board,  
26 Arera Hills Kisan Bhawan, Jail Road,  
Bhopal,  
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),**



**Jabalpur 26-12-2015**

**Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/ 19187/ 2015****

**Sir/Madam,**

I am directed to inform you that one **Suresh Kumar Parate** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/19187/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **25-01-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.



**Your faithfully**

*dh*

**DEPUTY REGISTRAR**

*ab*  
*MA*



मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / 5184/2015/43  
//आदेश//

भोपाल दिनांक 4-3-16

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक-5) आदेश सत्ताईस के नियम) तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. -19187/2015 सुरेश कुमार परते पिता हरनाम सिंह परते, सचिव मण्डी समिति चौरई जिला-छिन्दवाड़ा विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में संयुक्त संचालक/ उपसंचालक, म. प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है, मैं मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गए हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1. प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
2. समस्त सुसंगत फाइले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
3. वाद पत्र/याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता के सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा।
6. शासकीय अधिवक्ता की सहायता।
7. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
  - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
  - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
  - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है, और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
  - (घ) मामले के विरुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
8. मामले की तैयारी और संचालन करने की शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसे प्रक्रम और प्रगति के लिये किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
9. जब भी कोई आदेश/निर्देश विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस का आवेदन करना।
10. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजना।



11. यह देखना है कि आवेदन करने में ताकि प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
12. जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।
13. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकाशित/छुपी हुई नहीं रह जाये।
14. प्रभारी अधिकारी, नाम दिनांक अभियोजक मुकर्रर है तो वह, जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अमी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
15. प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना अनुशंसा के साथ(सरकार) प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

(अवर सचिव)

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि  
विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल

भोपाल दिनांक 4.3.16

क्रमांक/ 5197/2016/14-5  
प्रतिलिपि :-

1. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. प्रबन्ध संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. संबंधित जिलाध्यक्ष छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त संचालक/उपसंचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर म.प्र. प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे। मामले की सुनवाई तारीख .....  
हेतु नियत की गई है।

(अवर सचिव)

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा  
कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल